संख्या- ध्ग्ट.2ध्03;53द्धध्2003(डेरी बजट)

प्रेशक,

 आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्,

 सचिव,

 उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेषक,

डेरी विकास विभाग,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

पषुपालन अनुभाग-02 देहरादूनः दिनंाक जनवरी, 2020ः

विशय-कृषि एव किसान कल्याण मंत्रालय पशुपालन,डेरी एव मत्स्य विभाग भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय डेरी विकास योजना(सामान्य )के अंतर्गत NPD 1 2 के उपयोगार्थ वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध मे।

कृशि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, पषुपालन, डेरी एवं मत्स्य विभाग, भारत सरकार द्वारा संचालित राश्ट्रीय डेरी विकास योजना ;छच्क्क्.प् एवं छच्क्क्.प्प्द्धए अन्तर्गत वित्तीय वर्श 2019-20 में सामान्य मद हेतु रू0 260.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विशयक आपके पत्र संख्या-1037-39/नियोजन.छच्क्क् पत्रा0/2019-20, दिनंाक 08 जनवरी, 2020 एवं भारत सरकार, कृशि मंत्रालय, पषुपालन, डेरी एवं मत्स्य विभाग नई दिल्ली के पत्रों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेष हुआ है कि केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना अन्तर्गत सामान्य मद में वित्तीय वर्श 2019-20 हेतु प्राविधानित धनराषि रू0 260.00 लाख के सापेक्ष छच्क्क्.प् हेतु रू0 229.89 लाख राज्यांष तथा छच्क्क्.प्प् हेतु रू0 30.11 लाख राज्यांष अर्थात कुल रू0 260.00 लाख राज्यांष के रूप में वित्तीय स्वीकृति दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्श स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. अवमुक्त की जा रही धनराषि को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मदों के अनुसार ही व्यय किया जायेगा एवं तद्संबंधी स्पश्ट मदवार व्यय विवरण षासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2. धनराषि को व्यय किये जाने से पूर्व जहाॅ कहीं आवष्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवष्य प्राप्त कर ली जाए। षासन द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययता संबंधी निर्देंषों का पालन अवष्य किया जायेगा।

3. मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत कोशागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनंाक के आधार पर अंकित बजट की सीमा पर प्रतिमाह की 5 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0-08 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना षासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

4. अवमुक्त की जा रही धनराषि का दिनांक 31-03-2020 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाणक, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, षासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

5. उक्त धनराषि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित प्रावधानों एवं षासन के वर्तमान मितव्ययता संबंधी आदेषों के अन्तर्गत ही किया जाय।

6. इस संबंध में स्पश्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याषा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराषि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों एवं क्रय संबंधी षासनादेषों का पालन करते हुए किया जाय। धनराषि का व्यय एवं आहरण आवष्यकतानुसार ही किया जाय।

7. विभिन्न मदों में व्ययभार/देयता सृजित होने पर यथाषीघ्र धनराषि आहरित कर भुगतान की जायेगी एवं कोई भी भुगतान अनावष्यक लम्बित नहीं रखा जाय।

-2-

8. किसी भी क्रय/विक्रय हेतु प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स 2008, (समय-समय पर यथा संषोधित) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-01, (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-05 भाग (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, षासनादेष आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिष्चित किया जाय। साथ ही मितव्ययता सम्बन्धी आदेषों, डी0जी.एसन.एन.डी. की दरें, टेण्डर/कोटेषन विशयक नियमों के संबंध में षासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेषों, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के दिषा-निर्देषों का भी पूर्णतः अनुपालन किया जाय।

9. जो बिल कोशागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाय उनमें स्पश्ट रूप से लेखाषीर्शक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवष्यमेव किया जाय।

10. अवमुक्त की जा रही धनराषि हेतु वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड षासन के षासनादेष दिनंाक 29 मार्च, 2019 का अनुपालन सुनिष्चित करते हुए उपयोगिता प्रमाणक, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति एवं लाभार्थियों की सूची सहित षासन एवं नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिष्चित किया जाय।

2- उक्त धनराषि का व्यय चालू वित्तीय वर्श 2019-20 में अनुदान संख्या-28(आयोजनागत) अन्तर्गत लेखाषीर्शक-2404-डेरी विकास-00-102-डेरी विकास परियोजनायें-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना(सामान्य)-04-राश्ट्रीय डेरी विकास योजना-20-सहायक अनुदान/अंषदान /राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेष वित्त विभाग के षासनादेष संख्या-254ध्3;150द्धध्.2017ध्ग्ग्टप्प्;1द्धध्2018ए दिनंाक 29 मार्च, 2019 द्वारा दिये गये निर्देषों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्)

सचिव।

संख्या- ध्ग्ट.2ध्03;53द्ध2003 तद्दिनंाक

 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित:-

1. महालेखाकार कार्यालय, ’महालेखाकार भवन’, कौलागढ़, देहरादून, उत्तराखण्ड।

2. मण्डलायुक्त, कुमाऊॅ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।

3. स्टाफ अफसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड षासन।

4. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड षासन।

5. कोशाधिकारी, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।

6. निदेषक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।

7. निदेषक, बजट राजकोशीय नियोजन एवं संसाधन निदेषालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।

8. संयुक्त निदेषक, डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड, संयुक्त निदेषक/सम्पर्क कार्यालय, देहरादून।

9. गार्ड पत्रावली। आज्ञा से,

(मायावती ढकरियाल)

संयुक्त सचिव।